1884
14/11/2022

दिनांक-10.11.2022 को निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, डी.एस.डब्ल्यू., नोडल अधिकारी तथा सभी कॉलेजों के प्राचार्यगण के साथ वर्तमान शैक्षणिक सत्र में Chancellor Portal (https://jharkhanduniversities.nic.in/) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में online समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

Chancellor Portal के माध्यम से online registration से सम्बंधित समीक्षात्मक बैठक में सर्वप्रथम डॉ० विभा पांडे, उप-निदेशक -सह- नोडल पदाधिकारी, RUSA & Chancellor Portal के द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उपस्थित सभी रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर पोर्टल के नोडल अधिकारी, सभी कॉलेजों के प्राचार्यगण तथा श्री एन०एन०मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ -सह- वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आइ०सी०-झारखंड राज्य केंद्र का स्वागत किया गया।

उन्होंने बताया कि माननीय कुलाधिपति -सह- राज्यपाल महोदय के निर्देश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार के अंतर्गत छात्रहित में ,NIC-झारखण्ड राज्य केंद्र के तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित चांसलर पोर्टल के अंतर्गत झारखण्ड के सभी 8 राज्य विश्वविद्यालयों के PG Departments, Constituent एवं Affiliated महाविद्यालयों में PG Courses एवं UG courses के लिए online Application आमंत्रित कर online Admission और Online Registration का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। **वर्तमान UG सत्र वर्ष 2022 में अबतक कुल 373050 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए एवं 192184 ऑनलाइन नामांकन सफलतापूर्वक संपन्न हुए** और शेष रिक्त सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Online Registration कार्य मात्र डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची द्वारा पूर्ण किया गया है जबकि आज समीक्षात्मक बैठक के कारण मात्र एक कार्य दिवस में ही इन सातों विश्वविद्यालयों द्वारा 14310 से अधिक रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया गया।

इसे गंभीरता से लेते हुए निदेशक, उच्च शिक्षा ने माननीय कुलाधिपति -सह- राज्यपाल महोदय द्वारा विभिन्न बैठकों में छात्र हित में दिए गएआदेश के आलोक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्य नामांकन के अधिकतम तीन महीने के अन्दर पूर्ण करने हेतु निदेशित किया। सभी अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य को दिनांक-13.11.2022 तक online registration कार्य यथासंभव पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

इस संबंध में माननीय कुलाधिपति राज्यपाल महोदय -सह-के प्रधान सचिव के पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस एकीकृत Chancellor Portal से online Registration हेतु किसी भी छात्र छात्रा को पूर्व के मैन्युअल सिस्टम की भांति-अलग से कोई भी पंजीयन फॉर्म भरने या जमा करने की आवश्यकता नहीं है एवं पोर्टल हेतु अलग से अन्य किसी तरह का शुल्क लिए जाने का भी प्रावधान नहीं है। सभी महाविद्यालयों को

1884
14/11/2022

अन्य किसी तरह का शुल्क लिए जाने का भी प्रावधान नहीं है। सभी महाविद्यालयों को तत्संबंधित सूचना व्यापक स्तर पर देने का निदेश दिया ताकि जानकारी के अभाव में छात्र-छात्राओं को अनावश्यक परेशानी का सामना ना करनापड़े।

Online आवेदन या नामांकन प्रक्रिया के दौरान नेटवर्क या अन्य किसी तकनीकी समस्या के कारण छात्र-छात्राओं द्वारा किये गए दोहरे या एक से अधिक भुगतान को रिफंड करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से अपने-अपने Bank एवं Payment Gateway Agency से Fee details का साप्ताहिक अनुश्रवन कर नियमित रूप से Refund सम्बन्धी अपेक्षित कारवाई करने का निदेश दिया गया ताकि आवेदकों को कोई परेशानी न हो।

दस्तावेजों के सुरक्षित रख-रखाव हेतु नामांकन, रजिस्ट्रेशन आदि से सम्बंधित सभी online रिपोर्ट की हार्ड कॉपी/ प्रिंटेड प्रति अनिवार्य रूप से संधारित करने हेतु निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकतानुसार इनका सन्दर्भ लिया जा सके।

सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नामांकन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ नियमित रूप से ऑनलाइन मानिटरिंग किया करें। विशेषकर दिव्यांग, स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों या अन्य कोटे आधारित नामांकन हेतु अनुमोदन करने से पूर्व सभी विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य सावधानीपूर्वक वांछित कागजातों की पूर्ण जांच पडताल अनिवार्य रूप से कर लें।

श्री एन० एन० मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ -सह- वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आइ०सी०-झारखण्ड राज्य केंद्र द्वारा जानकारी दी गई कि छात्र हित में online Registration प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व सुगम्य बनाने के उद्देश्य से आरम्भ से ही Registration Slip को छात्रों के Login में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे छात्रों को अलग से Registration Form भरने, Form जमा करने एवं Registration Slip प्राप्त करने जैसी कठिनाइयों से पूर्ण निजात मिली है।

उन्होंने बताया कि इस एकीकृत पोर्टल के कारण बच्चे विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, दिव्यांग, मेधावी छात्र-छात्राओं को अत्यधिक सुविधा हुई है और वे अपने-अपने Login से अपने आवेदनों, payment receipt, Registration Slip आदि का online ट्रैकिंग भी खुद कर लेते हैं।

किसी भी प्रकार के तकनीकी समस्या के अविलम्ब निराकरण हेतु आरम्भ से ही विश्वविद्यालयवार अलग अलग whatsapp ग्रुप क्रियाशील है जिससे जुडे हुए क्षेत्राधीन सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, नोडल पदाधिकारी, तकनीकी कर्मी त्वरित समाधान प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं ।

उन्होंने उपस्थित सभी कुलसचिवों, छात्रकल्याण संकायाध्यक्षों, प्राचार्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग और सामंजस्य से राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी छात्र-छात्राओं को चांसलर पोर्टल के माध्यम से अधिकाधिक सुविधायें प्रदान

किया जा रहा है। उन्होंने सभी से इस संबंध में अपेक्षित सुझाव भी आमंत्रित किया ताकि उसके अनुरूप आगामी विभिन्न कार्य योजना बनाई जा सके और छात्रहित में इस पोर्टल को और अधिक विकसित किया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

निदेशक, उच्च शिक्षा
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक- 1884 रॉंची, दिनांक- 14/11/2022

प्रतिलिपिः- विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विश्वविद्यालयों के उपनिदेशक(प्रभारी), उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रांची/ राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आइ०सी०-झारखण्ड राज्य केंद्र/ श्री एन०एन० मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ -सह- वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आइ०सी०-झारखण्ड राज्य केंद्र/ कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय/ परीक्षा नियंत्रक, सभी विश्वविद्यालय/ छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं नोडल पदाधिकारी, चांसलर पोर्टल सभी विश्वविद्यालय/ संबंधित सभी पदाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, उच्च शिक्षा
झारखण्ड, रांची।